Supply Appeal Case No. 154/2017

आदेश की सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख
30.07.2019	**आदेश** प्रस्तुत अपील वाद **मो0 अली हसन, तत्कालीन जन वितरण प्रणाली विक्रेता, अनुज्ञप्ति सं0-14/16 पंचायत-बनभाग चुनापुर, थाना-के0नगर, जिला-पूर्णिया** द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, सदर पूर्णिया के आदेश ज्ञापांक 729/आ0 दिनांक 16.11.16 के विरूद्ध दायर किया गया है। इस वाद में निम्न न्यायालय का अभिलेख प्राप्त है। अपीलार्थी द्वारा समर्पित अपील आवेदन तथा दिनांक 29.07.19 को प्रस्तुत एक अन्य आवेदन अवलोकन किया। अपीलार्थी के विरूद्ध धारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत् के0नगर थाना कांड सं0-353/2016 दिनांक 04.10.2016 दर्ज कराई गई थी, जिसके आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, सदर पूर्णिया द्वारा बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियत्रंण) आदेश 2016 की कंडिका 25 के तहत् अपीलार्थी की अनुज्ञप्ति रद्द की गई। अपीलार्थी के विरूद्ध सरकारी अनुदानित चावल के कालाबाजारी का आरोप लगाया गया है। अपीलार्थी का कथन है कि जप्त चावल उनके सरकारी दुकान की नहीं है और न ही जप्त चावल से उनका कोई संबंध है। उनका भंडार एवं वितरण सही है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि अपीलार्थी के विरूद्ध जिस आरोप के तहत् प्राथमिकी दर्ज करायी गई थी तथा उनकी अनुज्ञप्ति रद्द की गई थी उस मामले में अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, पूर्णिया के जी0आर0सं0-3248/16 में दिनांक 18.07.19 के पारित आदेश के आलोक में अपीलार्थी दोषमुक्त हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की अनुज्ञप्ति पुनः चालु करवाने का आदेश दिया जाए। विद्वान विशेष लोक अभियोजक -7 आवश्यक वस्तु अधिनियम पूर्णिया द्वारा बताया गया कि संदर्भित कांड में अपीलार्थी दोषमुक्त हो चुके हैं। तदुनसार न्यायालय विचार कर सकती है। अपीलार्थी द्वारा समर्पित कागजात्, उनके विद्वान अधिवक्ता का अभिकथन, विशेष लोक अभियोजक-7 आवश्यक वस्तु अधिनियम पूर्णिया का अभिकथन, निम्न न्यायालय का अभिलेख एवं **G.R. No.-3248/2016 (CIS-5164/2016)** में पारित आदेश के अवलोकनोपरांत स्पष्ट होता है कि जिस	

कालाबाजारी के आरोप में अपीलार्थी के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज होने के आधार पर उनकी अनुज्ञप्ति रद्द की गई थी, उस मामले में संबंधित न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को दोषमुक्त कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के अनुज्ञप्ति को रद्द रखा जाना विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता है।

अतः अपीलार्थी मो0 अली हसन, तत्कालीन जन वितरण प्रणाली विक्रेता, पंचायत-बनभाग चुनापुर, प्रखंड-के0नगर की अनुज्ञप्ति सं0-14/2016 को पुनर्बहाल करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर पूर्णिया अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे।

इसी के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्त्ता,
पूर्णिया।

समाहर्त्ता,
पूर्णिया।